डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर.

पंजी. क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9] रायपुर, सोमवार दिनांक 14 जनवरी 2002, पौष 24, शक 1923

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2002

अधिसूचना

क्रमांक-164/4531/2001/स्वा.- केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (क्र. 14 सन् 1987) की धारा 4 तथा केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण (राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण) नियम, 1990 के अध्याय-दो के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लेते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन करती है.

2. प्राधिकरण में निम्नानुसार सदस्य होंगे :-

1. शासकीय सदस्य - 1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग.

2. उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग.

3. संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़.

2. अशासकीय सदस्य - 1. एक सामाजिक कार्यकर्ता.

2. एक क्लीनिकल साइक्लाजिस्ट.

3. एक मेडिकल साइक्याट्रिस्ट.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक शुक्ला, सचिव.

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2002

क्र./165/4531/2001/स्वा.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 164/4531/2001/स्वा., दिनांक 14-01-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक शुक्ला, सचिव.

Raipur the 14th January 2002

NOTIFICATION

No. 164/4531/2001/H.-In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Central Mental Health Act, 1987 (No. 14 of 1987), and Rules 3 of Chapter II (State Mental Health Authority) of the Central Mental Health Authority Rules, 1990, the State Government hereby constitute Chhattisgarh Mental Health Authority.

2. There shall be following members in the Authority :-

1. Official Members - 1. Secretary Government of Chhattisgarh, Department of Public Health & Family Welfare.

2. Deputy Secretary Government of Chhattisgarh, Department of Public Health & Family Welfare.

3. Director Health Services, Chhattisgarh.

2. Non-Official Members -

1. A Social Worker.

2. A Clinical Psychologist.

3. A Medical Psychiatrist.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
Alok Shukla, Secretary

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2002

अधिसूचना

क्रमांक 166/4531/2001/स्वा.- केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण नियम, 1990 (राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण) के अध्याय दो की 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग को प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नाम-निर्देशित करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक शुक्ला, सचिव.

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2002

क्रमांक 167/4531/2001/ स्वा.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 166/4531/2001/स्वा., दिनांक 14-1-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक शुक्ला, सचिव,

Raipur the 14th January 2002

NOTIFICATION

No./166/4531/2001/H.-In exercise of the powers conferred by Rule 5 of Chapter II (State Mental Health Authority) of the Central Mental Health Authority Rules, 1990 the State Government, hereby, nominate, Secretary to the Government of Chhattisgarh, Department of Public Health & Family Welfare and Medical Education as the Chairman of the Authority.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
Alok Shukla, Secretary

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित-2002.